JSHE I

26.9.13

का.प्रशा. / उच्च एवं तक. शिक्षा
क्रमांक 6698
दिनांक 26/9/13

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः 8(2)20 / निर्वा / 2013 /   जयपुर, दिनांक 25.09.2013

पत्र-प्राप्ति क्रमांक 7398
दिनांक 30.9.13

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : अतिरिक्त मुख्य सचिव
वन एवं पर्यावरण विभाग / स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग / उद्योग विभाग / जल संसाधन विभाग / सार्वजनिक निर्माण विभाग / उपनिवेशन विभाग / उर्जा विभाग / पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रबंध निदेशक,
आर.टी.डी.सी., राजस्थान,
जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव एवं
आवासीय आयुक्त, राजस्थान,
नई दिल्ली।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
राजस्थान विद्युत प्रसारण / वितरण निगम लि., जयपुर।

मुख्य अभियंता,
सिंचाई विभाग / सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Urgent

विषयः–विधानसभा आम चुनाव, 2013 – राजकीय विश्राम भवनों / होटलों में ठहरने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत इस वर्ष के अन्तिम त्रैमास में राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव सम्पन्न होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जावेगी, जो चुनाव प्रकिया सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगी। चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने की सूचना यथासंभव विभाग द्वारा दे दी जायेगी अन्यथा विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा भी हो जायेगी।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437/6/2006–PLN-III- Vol-II दिनांक 01.04.2006 के अनुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान राजकीय विभागों / उपकमों के विश्राम भवनों / होटलों / अतिथिगृह / डाक बंगलों में केन्द्र या राज्य सरकार / राज्य सरकार के कोई मंत्री, सांसद, विधायक या राजनैतिक कार्यकर्ता नहीं रूक सकते, सिर्फ ऐसे राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें जेड–स्केल या उससे ऊपर की सुरक्षा मिली हो उनको ठहरने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे आवास जिन्हें पहले से ही निर्वाचन से संबंधित अधिकारी या पर्यवेक्षकों को उपभोग हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये हो।

अतः भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

C:\Users\JOINT CEO\Desktop\Election Letters .docx

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 26(परिपत्र)स्था / निकाशि / 2013 / 1150   दिनांक 18 अक्टूम्बर, 2013

1 डा धीरेन्द्र देवर्षि (व्याख्याता) प्रभारी बेवसाइट को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को बेवसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।

संयुक्त निदेशक

JSHE

26.9.13

का.प्रशा. / उच्च एवं तक. शिक्षा
क्र. 6698
दिनांक 26/9/13

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर
पत्र-प्राप्ति क्रमांक 7398
दिनांक 30.9.13

कमांकः 8(2)20 / निर्वा / 2013 / जयपुर, दिनांक 25.09.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : अतिरिक्त मुख्य सचिव
वन एवं पर्यावरण विभाग / स्वायत्त शासन
विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग / उद्योग विभाग /
जल संसाधन विभाग / सार्वजनिक निर्माण
विभाग / उपनिवेशन विभाग / उर्जा विभाग /
पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रबंध निदेशक,
आर.टी.डी.सी., राजस्थान,
जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव एवं
आवासीय आयुक्त, राजस्थान,
नई दिल्ली।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
राजस्थान विद्युत प्रसारण / वितरण
निगम लि., जयपुर।

मुख्य अभियंता,
सिंचाई विभाग / सार्वजनिक निर्माण
विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Urgent

विषयः--विधानसभा आम चुनाव, 2013 – राजकीय विश्राम भवनों / होटलों में ठहरने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत इस वर्ष के अन्तिम त्रैमास में राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव सम्पन्न होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के कार्यकम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जावेगी, जो चुनाव प्रकिया सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगी। चुनाव कार्यकम घोषणा होने की सूचना यथासंभव विभाग द्वारा दे दी जायेगी अन्यथा विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा भी हो जायेगी।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437/6/2006–PLN-III- Vol-II दिनांक 01.04.2006 के अनुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान राजकीय विभागों / उपकमों के विश्राम भवनों / होटलों / अतिथिगृह / डाक बंगलों में केन्द्र या राज्य सरकार / राज्य सरकार के कोई मंत्री, सांसद, विधायक या राजनैतिक कार्यकर्ता नहीं रूक सकते, सिर्फ ऐसे राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें जेड–स्केल या उससे ऊपर की सुरक्षा मिली हो उनको ठहरने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे आवास जिन्हें पहले से ही निर्वाचन से संबंधित अधिकारी या पर्यवेक्षकों को उपभोग हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये हो।

अतः भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

C:\Users\JOINT CEO\Desktop\Election Letters .docx

क्रमांक: 8(2)20/निर्वा/2013/ 14837 जयपुर, दिनांक 21.09.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आयोग के ऊपर वर्णित पत्र की प्रति सहित पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव, राजस्थान।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर्स), राजस्थान।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

C:\Users\JOINT CEO\Desktop\Election Letters .docx

13

(3)

MOST IMMEDIATE

ELECTION COMMISISON OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 437/6/2006-PLN-III (Vol. II) Dated: April 1, 2006

To

1. **The Cabinet Secretary**
   Government of India
   Rashtrapati Bhawan
   New Delhi

2. **The Chief Secretaries of all States and Union Territories**

3. **The Chief Electoral Officers of all States and Union Territories**

Sir,

Kindly refer to the instructions of the Commission issued as per letter no. 437/6/2006-PLN-III (Vol. II) dated 14th March 2006 stating that no accommodation will be provided to any Minister of the Central or State Government, Members of Parliament or Members of Legislative Assemblies or political functionaries in any Government Guest House / Rest House / Guest House of any Public Sector Undertaking of the Central or State Government in the States where elections have been announced or are taking place as these are required to accommodate election related officials and observers.

The Commission has now received representations from various States Governments and political functionaries requesting that these restrictions may be relaxed keeping in view the security concerns of various political leaders.

The Commission has further considered the issue in the light of the requests received and decided that henceforth accommodation in Government Guest houses / Rest houses or Guest Houses of Public Sector Undertakings of the Centre or State Government in the States (or the districts) where elections have been announced or are taking place can be given to the political functionaries who are provided security by the State in Z scale or above or equivalent by various State Government under provisions of their laws, on equitable basis. This shall be subject to condition that such accommodation is not already allotted or occupied by election related officials or observers. Some political functionaries shall not carry out any political activity while staying in the Government Guest Houses / Rest Houses or Guest Houses of Public Sector Undertakings as mentioned above.

Yours faithfully,

(A. K. MAJUMDAR)
SECRETARY